प्रपत्र-VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संख्या–........../भू0अ0

(भू–अर्जन निदेशालय)

या दिनांक–.....

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है, कि कुल 0.414 एकड़ भूमि गाँव–भगवानपुर, राजस्व थाना–तेघड़ा, थाना सं0–323, अंचल भगवापुर, जिला बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मुख्यमंत्री सेतु योजना अंतर्गत भगवानपुर प्रखण्ड के बलान नदी बसही घाट पर पुल एवं उपगम पथ के निर्माण हेतु भू–अर्जन अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस आई ए ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने से छूट हेतु विभागीय निदेश प्राप्त है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथानिम्न है ....–x–...
–x–...– x–...
....–x–...भू–अर्जन के कारण कुल..............x.............
परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित हो कि गाँव भगवानपुर, राजस्व थाना तेघड़ा, थाना सं0 323 अंचल भगवानपुर, जिला बेगूसराय में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.414 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है ....
....

क0 सं0	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
						उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1260	केवाला द्वारा प्राप्त	आवासीय	0.046	विपीन बिहारी शर्मा पे0–स्व0 लक्ष्मी नारायण शर्मा, सा0–भगवानपुर जिला–बगूसराय	अंश खेसरा 1260 एवं सर्वे खेसरा 1271	सर्वे सड़क खेसरा 1272,	सड़क खेसरा–1272	नदी खेसरा–1225
2	1273	वही	वही	0.363	वही	अंश खेसरा 1273 एवं सर्वे खेसरा–1272 सड़क	अंश खेसरा 1273, सर्वे खेसरा–1276	सड़क	अंश खेसरा–1273
3	1274	वही	वही	0.005	वही	खेसरा 1273	खेसरा 1273	सड़क	खेसरा 1273
कुल रकवा:–				0.414					

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित के लिए की गई है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि 10:00 बजे से 5:00 तक में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को अधिकार में लेने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन छिद्र करने के लिए सभी अन्य कार्यों के संचालन करने तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बेगूसराय और उनके कर्मचारी कानूनगो एवं निर्देशित पदाधिकारी को प्राधिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई व्यक्ति समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के समक्ष दर्ज की जा सकेगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन के कम इस कार्यालय के पत्रांक–329, दिनांक–26.08.2017 द्वारा सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन कार्य से छूट हेतु अनुरोध किया गया तद्नुसार विभागीय पत्रांक–1177/रा0, दिनांक–01.09. 2017 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया गया है।

ह0/-

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

ज्ञापांक–................/दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट बेगूसराय को जिला राज पत्र के अगले असाधारण/साधारण अंक में प्रकाशित करने वो इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के लिए भेजी जाती है।

ज्ञापांक–................/दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– निदेशक भूमि अर्जन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक–................/दिनांक–................./

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार, पटना को चार प्रतियों के साथ (सी0डी0सहित) दो दैनिक समाचार पत्रो जिसमें एक स्थानीय भाषा में हों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–................/दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–................/दिनांक–......................./

प्रतिलिपिः– जिला अवर निबंधक बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक–340...../दिनांक–05/09/17/

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, बेगूसराय को समुचित सरकार/समाहर्त्ता के बेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।